अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/396/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 30/05/2013

सेवा में

श्री मेहराज खां नायक,
चाँद कालोनी सादडी,
तहसील-देसूरी, जिला-पाली,
राजस्थान-306702

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 26.04.2013 का आवेदन।**

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 17.5.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना इस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, चूंकि आपके आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित है, इसलिए, सीधे आपको अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए आपका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उन्हें अंतरित किया जा रहा है।

3. अधोहस्ताक्षरी के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

Issued with encl.
1626
19/6.

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष : 23092856

प्रति प्रेषित :

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को। आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

2. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पी एच क्यू, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए।

सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय गृह सचिव
केन्द्रीय गृह मन्त्रालय
नई दिल्ली

Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली
01 MAY 2013
S90

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अन्तर्गत सशुल्क आवेदन पत्र।

3006/RTI/2013
10/5/13

महोदय जी,

नमस्कार साहब,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सविनय निवेदन हैं कि प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अन्तर्गत सशुल्क आवेदन किया हैं। आप द्वारा अथवा आपके कार्यालय द्वारा प्रार्थी को निम्न वाँछित जन सूचना अविलम्ब अवश्य उपलब्ध करावें :-

निम्न वाँछित जन सूचना इस प्रकार हैं :-

(1) सम्पूर्ण दिल्ली महानगर निगम की परिसीमा क्षेत्र में किन-किन सार्वजनिक स्थानों पर शान्तिपूर्वक, अहिंसात्मक और गाँधीवादी तरीके से अनशन किया जा सकता है - (उन स्थानों की स्थानवार सूची)

(2) सम्पूर्ण दिल्ली महानगर निगम की परिसीमा क्षेत्र में किन-किन सार्वजनिक स्थानों पर शान्तिपूर्वक, अहिंसात्मक और गाँधीवादी तरीकें से अनशन नहीं किया जा सकता हैं (कृपया उन स्थानों की स्थानवार सूची)

(3) सार्वजनिक स्थानों पर शत-प्रतिशत शान्तिपूर्वक, अहिंसात्मक और गाँधीवादी तरीकें से अनशन करनें पर सरकारी अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक हैं अथवा नहीं हैं - यदि आवश्यक / अनिवार्य है तो सरकारी अनुमति जारी करनें वाले सक्षम अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम बतावें।

(4) सार्वजनिक स्थानों पर सौ प्रतिशत शान्तिपूर्वक, अहिंसात्मक और गाँधीवादी तरीके से अनशन करनें पर कार्यालय में जमा शुल्क विवरण बतावें अर्थात कुल कितनी राशि कार्यालय में जमा करवानी पड़ती हैं।

(5) दिल्ली में रामलीला मैदान या जन्तर-मन्तर पर शान्तिप्रिय, अहिंसात्मक तथा गाँधीवादी तरीके से अनशन कर सकते हैं या नहीं कृपया इस बारें में सुस्पष्ट जानकारी प्रार्थी को पंजीकृत डाक से निर्धारित समयावधि में अवश्य देवें।

US (Delhi)

दिनाँक :- 26/04/2013

इण्डियन पोस्टल ऑर्डर नम्बर
95 E 860766

प्रार्थी
मेहराज खाँ नायक
चाँद कॉलोनी सादड़ी
तहसील - देसूरी जिला - पाली
राजस्थान - 306702